बालकृष्ण पांडे

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

दिसंबर 14, 1995

[के. रामास्वामी और बी. एल. हंसारिया, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानून — पदोन्नति का अधिकार — प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी — पात्र नहीं, भले ही उसके द्वारा धारित पद को स्थायी कर दिया गया हो — स्थायी पदधारी की पदोन्नति — वैध मानी गई — स्थायी पद और स्थायी पदधारी के बीच अंतर स्पष्ट किया गया।

अपीलकर्ता सांख्यिकी विभाग में एक कनिष्ठ सांख्यिकीय पर्यवेक्षक थे और उन्हें विशेष रोजगार और योजना निदेशालय में वरिष्ठ सांख्यिकी सहायक के अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया था। प्रथम उत्तरदाता को पदोन्नत किया गया और उक्त पद पर नियुक्त किया गया जब उसे स्थायी बना दिया गया। अपीलकर्ता को उसके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया।

अपीलकर्ता ने एक रिट याचिका दायर करके प्रत्यावर्तन को चुनौती दी, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था और अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है। हालाँकि, प्रत्यावर्तन के बाद, अपीलकर्ता को उनके मूल विभाग में वरिष्ठ सांख्यिकी सहायक के रूप में पदोन्नत किया गया था।

अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता की नियुक्ति चयन के आधार पर हुई थी, अतः उसकी नियुक्ति को विशेष रोजगार एवं योजना निदेशालय में नियमित आधार पर की गई नियुक्ति माना जाना चाहिए। और एक बार जब उस पद को स्थायी कर दिया गया, तो अपीलकर्ता को उस स्थायी पद पर समायोजित माना जाना चाहिए तथा उसे पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार था। यह भी आगे तर्क दिया गया

कि पाँचवें उत्तरदाता को अपीलकर्ता के दावे को नज़रअंदाज़ करते हुए दो बार पदोन्नत किया गया, अतः अपीलकर्ता को पद-वंचित करना विधि-विरुद्ध था।

अपील का निपटारा करते हुए, यह न्यायालय

अभिनिर्धारितः 1. अस्थायी पदोन्नति पर एक कर्मचारी अपने महत्वपूर्ण पद पर ग्रहणाधिकार तब तक रखता रहेगा जब तक कि इसे विधिवत समाप्त नहीं कर दिया जाता। वह एक साथ दो महत्वपूर्ण पदों पर नहीं रह सकते हैं। [672-सी]

2. अपीलकर्ता को विशेष रोजगार और योजना विभाग में प्रतिनियुक्ति पर एक अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया था और उनका नाम उस विभाग की वरिष्ठता सूची में सही नहीं दिखाया गया है। उन्होंने मूल विभाग में कनिष्ठ सांख्यिकी पर्यवेक्षक के रूप में अपना ग्रहणाधिकार और वरिष्ठता बनाए रखना जारी रखा। पलटने पर, वे कनिष्ठ सांख्यिकी पर्यवेक्षक के अपने पद पर वापस आ गए और अपने आप में उन्हें वरिष्ठ सांख्यिकीय सहायक के रूप में पदोन्नत किया गया। [672-डी]

3. राज्य द्वारा पाँचवें उत्तरदाता की पदोन्नति में कोई अवैधता नहीं है, चूंकि पाँचवाँ उत्तरदाता विशेष रोजगार और योजना निदेशालय में स्थायी रूप से कार्यरत था, इसलिए वरिष्ठ सांख्यिकीय सहायक के रूप में उनकी पदोन्नति कानून की दृष्टि से गलत नहीं थी। [671-जी]

4. यद्यपि अपीलकर्ता विशेष रोजगार एवं योजना निदेशालय में इसलिए कार्यरत रहा क्योंकि उच्च न्यायालय और इस न्यायालय दोनों द्वारा पारित अंतरिम निर्देशों के कारण उसे वहीं बनाए रखा गया, फिर भी यह माना जाएगा कि वह अपने मूल विभाग में वरिष्ठ सांख्यिकीय सहायक के पद पर ही अपना ग्रहणाधिकार बनाए हुए था। अतः वह उस विभाग में नियमों के अनुसार उपलब्ध सभी अधिकारों तथा किसी भी आगे की पदोन्नति का हकदार रहेगा। [672-एफ-जी]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1979 की दीवानी अपील सं. 2927

1979 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 754 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 13.4.79 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता के लिये एल. आर. सिंह।

उत्तरदाताओं के लिए डी. गोवर्धन।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था :

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील पटना उच्च न्यायालय के सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 754/79 में 13.4.1979 को दिए गए आदेश से उत्पन्न होती है। स्वीकार किए गए तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता को सांख्यिकी विभाग में कनिष्ठ सांख्यिकीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। जब विशेष रोजगार एवं योजना निदेशालय (संक्षेप में 'एस.ई.पी.') में वरिष्ठ सांख्यिकी सहायक का एक अस्थायी पद रिक्त हुआ, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा किए गए आवेदन और मूल विभाग द्वारा अग्रेषित किए जाने पर, अपीलकर्ता को दिनांक 12.7.1973 के आदेश द्वारा वरिष्ठ सांख्यिकी सहायक के अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया और उन्होंने 1.9.1973 को पदभार ग्रहण किया। ऐसा प्रतीत होता है कि 1.1.1978 को इस पद को स्थायी कर दिया गया था। 16.8.1977 को, जब एस.ई.पी. निदेशालय में वरिष्ठ सांख्यिकी सहायकों (संक्षेप में, "एस.एस.ए.") की श्रेणी सूची तैयार की गई थी, उसमें अपीलकर्ता का नाम नहीं दिखाया गया था। अपीलकर्ता ने उस पर दिनांक 26.9.1977 का अभ्यावेदन किया। 28 सितंबर, 1977 की कार्यवाही द्वारा, इसमें पांचवें उत्तरदाता, अरुण प्रसाद मंडल को शुरू में एस.एस.ए. के रूप में पदोन्नत किया गया और उसके बाद वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (संक्षेप में, एस.आर.ए.) के रूप में और पदोन्नति दी गई। अपीलकर्ता को दिनांक 23.2.1979 की कार्यवाही द्वारा मूल विभाग को वापस कर दिया गया था। अपीलकर्ता ने प्रत्यावर्तन को चुनौती दी और उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया जैसा कि पहले कहा गया था। वापसी के बाद, उन्हें मूल विभाग में एस.एस.ए. के रूप में पदोन्नत किया गया। इन तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है।

अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री एल. आर. सिंह ने तर्क दिया कि चूंकि नियुक्ति के आदेश से पता चलता है कि वह चयन द्वारा इंगित थे, दूसरे शब्दों में, प्रक्रिया के अनुसार तुलनात्मक गुणों पर विचार करके, उनकी नियुक्ति एस.ई.पी. निदेशालय में नियमित आधार पर मानी जानी चाहिए। हालांकि शुरू में पद अस्थायी था, एक बार जब 1.1.1978 को इसे स्थायी बना दिया गया था, तो उन्हें स्थायी पद पर समाहित माना जाना चाहिए और इस प्रकार वह एस.एस.ए. के रूप में पदोन्नति के पद के लिए विचार करने का हकदार है। उसके मामले पर विचार करने के बजाय, पांचवें उत्तरदाता को एस.आर.ए. के लिए अपीलकर्ता के दावे की अनदेखी करते हुए दो बार पदोन्नत किया गया; और, इसलिए, प्रत्यावर्तन कानून की नज़र में गलत है।

राज्य द्वारा दिनांक 13.8.1979 को दायर प्रत्युत्तर-शपथपत्र में यह उल्लेख किया गया था कि अपीलकर्ता की नियुक्ति एस.एस.ए. के रूप में एक अस्थायी पद पर प्रतिनियुक्ति पर की गई थी; उसके मूल विभाग, अर्थात् सांख्यिकी विभाग में कनिष्ठ सांख्यिकीय पर्यवेक्षक के पद पर उसका लियन बना रहा; मूल विभाग में प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन) के पश्चात् उसे अपने अधिकार से एस.एस.ए. के पद पर पदोन्नति दी गई; पाँचवें प्रतिवादी की प्रारम्भिक नियुक्ति निदेशालय, एस.ई.पी. में हुई थी और वह उस पद का स्थायी पदाधिकारी होने के कारण अपने अधिकार से पदोन्नत हुआ। जब एस.एस.ए. का पद रिक्त हुआ, तब वह विभाग का स्थायी पदाधिकारी होने के कारण उक्त पद पर पदोन्नत किया गया। चूँकि अपीलकर्ता मात्र प्रतिनियुक्ति पर था, इसलिए वह निदेशालय, एस.ई.पी. में पदोन्नति का कोई अधिकार दावा नहीं कर सकता। अपने अधिकार से उसे उसके मूल विभाग में एस.एस.ए. के रूप में पदोन्नति प्राप्त हुई थी। अतः सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में कोई अवैधता नहीं है। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को खारिज किया जाना सही था।

इसलिए सवाल यह है कि क्या पांचवें उत्तरदाता को एस.एस.ए. के रूप में पदोन्नत करना कानूनी रूप से वैध है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि 13.8.1979 को ही जवाबी

हलफनामा दाखिल किए जाने के बावजूद, न तो कोई प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल किया गया और न ही एस.ई.पी. निदेशालय में एसएसए के रूप में उनकी नियुक्ति की प्रकृति को स्थापित करने के लिए कोई अकाट्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। उस स्थिति में, हम अनिवार्य रूप से राज्य द्वारा जवाबी हलफनामे में किए गए अनियंत्रित कथनों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित हैं। यह अपीलकर्ता के मूल विभाग, अर्थात् सांख्यिकी विभाग द्वारा तैयार और बनाए रखी गई वरिष्ठता सूची से पुष्टि प्राप्त करता है। उसमें मद 9 में यह दिखाया गया था कि अपीलकर्ता प्रतिनियुक्ति पर एस.ई.पी. निदेशालय में कार्यरत था।

यह तय किया गया कानून है कि अस्थायी पदोन्नति पर एक कर्मचारी ग्रहणाधिकार को अपने मूल पद पर तब तक रखना जारी रखें जब तक कि इसे विधिवत समाप्त नहीं कर दिया जाता है। वह एक ही समय में दो महत्वपूर्ण पदों पर नहीं रह सकता है। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलकर्ता एस. ई. पी. निदेशालय में कार्यरत प्रतिनियुक्तिवादी है, तो उसका नाम उस विभाग की वरिष्ठता सूची में उचित रूप से नहीं दिखाया गया था। इसलिए, उन्होंने मूल विभाग में कनिष्ठ सांख्यिकी पर्यवेक्षक के रूप में अपना ग्रहणाधिकार और वरिष्ठता बनाए रखना जारी रखा। प्रत्यावर्तन पर, वह एक कनिष्ठ सांख्यिकी पर्यवेक्षक के रूप में अपने पद पर वापस आए और अपने आप में उन्हें एस.एस.ए. के रूप में पदोन्नत किया गया। चूंकि पांचवां उत्तरदाता एस. ई. पी. निदेशालय में एक स्थायी पदधारी था, इसलिए उन्हें एस. एस. ए. के रूप में पदोन्नत किया गया। जब उच्च पद, अर्थात् एस.आर.ए., में एक और रिक्ति उत्पन्न हुई, तो उन्हें उस रिक्ति पर विचार करके पदोन्नत किया गया। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा मामले में हस्तक्षेप न करने का निर्णय पूर्णतः उचित है और हमें हस्तक्षेप को उचित ठहराने वाला कोई कारण नहीं मिलता।

हमें सूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम निर्देशों के अनुसार अपीलकर्ता ने एस. ई. पी. निदेशालय में काम करना जारी रखा है। यद्यपि वह विभाग में बने हुए थे, फिर भी यह माना जाना चाहिए कि उन्होंने मूल

विभाग, अर्थात् सांख्यिकी विभाग में एक वरिष्ठ सांख्यिकी सहायक के रूप में अपना ग्रहणाधिकार बनाए रखा है और वह नियमों के अनुसार उस विभाग में सभी अधिकारों और आगे की पदोन्नति, यदि कोई हो, के हकदार होंगे।

अपील का तदनुसार उपरोक्त टिप्पणियों के साथ निस्तारण किया जाता है। कोई लागत नहीं।

अपील का निस्तारण किया गया।

एम. के.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।